



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2014/माघ 7, 1935

No. 42]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2014/MAGHA 7, 1935

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 62(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा डाक विभाग (डाक सहायक एवं छंटाई सहायक) (समूह 'ग' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2011 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं: नामतः—

1. (1) इन्हें डाक विभाग (डाक सहायक एवं छंटाई सहायक) (समूह 'ग' अराजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. डाक विभाग (डाक सहायक एवं छंटाई सहायक) (समूह 'ग' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2011 की अनुसूची में, —

(i) डाक सहायक एवं छंटाई सहायक (विदेश डाक संगठन से अन्यथा अन्य डाकघरों में) के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के, —

(क) कॉलम 7, मद (i) की प्रविष्टियों में,

(क) "कम से कम 60 प्रतिषत अंकों से" शब्द एवं आंकड़े हटाए जाएंगे,

(ख) "अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 55% और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 45% अंक" शब्द और आंकड़े हटाए जाएंगे,

(ख) कॉलम 10 की मद संख्या (क) की उप-मद (i) की प्रविष्टियों में "कम से कम 50 प्रतिषत अंकों के साथ" शब्दों और आंकड़ों को "पास" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(ii) डाक सहायक और छंटाई सहायक (दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई में विदेश डाक संगठनों में) के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के कॉलम 7 की मद संख्या (i) की प्रविष्टियों में, —

(क) "कम से कम 60 प्रतिषत अंकों से" शब्द और आंकड़े हटाए जाएंगे,

(ख) "अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 55% और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 45% अंक" आंकड़े और शब्द हटाए जाएंगे।

[फा. सं. 37-47/2010-एसपीबी-I]

एन. टी. पेटे, निदेशक (एसपीएन)

पाद टिप्पणी : मूल नियम सं. सा.का.नि. 794(अ), दिनांक 03 नवम्बर, 2011 के तहत प्रकाशित किए गए।

384 GI/2014

(1)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY**(Department of Posts)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th January, 2014

G.S.R. 62(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Posts (Postal Assistants and Sorting Assistants) (Group C non- Gazetted), Recruitment Rules, 2011, namely :—

1. (1) These may be called the Department of Posts (Postal Assistants and Sorting Assistants) (Group C non-Gazetted) Recruitment (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Posts (Postal Assistants and Sorting Assistants) (Group C non-Gazetted), Recruitment Rules, 2011,—

- (i) against serial number 1 relating to post of Postal Assistant and Sorting Assistant (in offices other than Foreign Posts Organisation),—
 - (a) in column 7, in the entries, in item (i),
 - (A) the words and figures “with at least 60% marks” shall be omitted;
 - (B) the figures and words “55% for Other Backward Classes and 45% for Schedule Castes/ Scheduled Tribes” shall be omitted;
 - (b) in column 10, in the entries, in sub-item (i) of item (a), for the words and figures “obtained at least 50% marks in”, the word “passed” shall be substituted;
- (ii) against serial number 1 relating to post of Postal Assistant and Sorting Assistant (in the Foreign Posts Organisations in Delhi, Kolkata, Chennai and Mumbai), in column 7, in the entries, in item (i), -
 - (a) the words and figures “with at least 60% marks” shall be omitted;
 - (b) the figures and words “55% for Other Backward Classes and 45% for Scheduled Castes / Scheduled Tribes ” shall be omitted.

[F. No. 37-47/2010-SPB-I]

N. T. PAITE, Director (SPN)

Foot Note:—The principal Rules were published *vide* number G.S.R. 794(E), dated the 3rd November, 2011.